न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 4/2021
प्रविष्टि दिनांक 7–7–2021

कमरूद्दीन(राहत) पुत्र श्री बुन्दू खॉ निवासी कच्ची बस्ती मोतीबाग वार्ड नं. 32 टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला टोक

–रेस्पोडेण्ट

द्वितीय अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी टोंक

निर्णय दिनांक 7–7–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी टोंक ने अपने आदेश दिनांक 11–6–2021 के द्वारा अपीलान्ट को आर्थिक ओर गैर आर्थिक मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाने पर बी0पी0एल0 योग्य नही होने के फलस्वरूप अपील खारिज करने पर अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर बीपीएल सूची 2003 में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी टोंक से अपील से संबधित दस्तावेजात व रिपोर्ट मंगवाई गई। उपखण्ड अधिकारी टोंक ने उनके पत्र कमांक 1674 दिनांक 29–6–2021 से रिपोर्ट प्रेषित की है कि प्रार्थी का बी0पी0एल सैन्सेंस 2003 मे सर्वे फार्म मे बिन्दु सं0 3 मी मोबाईल होना अंकित किया है, जो कि अनार्थिक मापदण्ड बिन्दु सं0 3 की प्रतिकूल है। इसी प्रकार बिन्दु सं0 11.4 अनुसार अप्रार्थी के परिवार में एक से अधिक सदस्य कमाने वाले हैं। अपील प्रस्तुत होने पर बाद जांच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक/अनार्थिक मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी की अपील खारिज की गई है।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अध्ययन किया। उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा जांच करवाये जाने पर अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक/अनार्थिक मापदण्ड पूर्ण नहीं किये हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी टोंक का निर्णय दिनांक 1–6–2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7–7–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:36:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner